सं० ओ० वि०/रोहतक/76-87/18680.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पारले बिस्कुट प्रा० लि०, सांखोल, बहादुरगढ़, के श्रमिक श्री रणबीर सिंह, मार्फत महासचिव, बिस्कुट प्रा० लि०, जाग्रती वर्कर्ज यूनियन, सांखोल, बहादुरगढ़ (रोहतक) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

सलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-(1)-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री रणबीर सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से लियन खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/36-87/18687.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० जे०वी इलक्ट्रोनिक्स लि०, प्लाट नं० 163-164, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हेमन्त कुमार तिवारी, मार्फत महा सचिव, इण्टक जिला परिषद्, 1-ए/119, एन०आई०टी० फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री हेमन्त कुमार तिवारी की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से लियन खोया है, इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ डी/39-87/18694.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० फरीदाबाद आटोमोटिव कम्पोनेन्टस, प्लाट नं० 172, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री वी०एन० आनन्द राजन, मार्फत हिन्द मजदूर सभा, 51-ए, सैक्टर 6, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री वी० एन० आनन्द राजन की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर होकर नौकरी खोई है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार हैं?

आर० एस० अग्रवाल,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।